न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—09 / 2015 (2015 / 00118) प्रार्थना पत्र

उनवान

1—लक्ष्मीलाल पिता चम्पालाल ब्राहम्ण निवासी राणास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—रतनदेवी पत्नि लक्ष्मीलाल ब्राहम्ण निवासी राणास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1—लेहरू पिता हजारी गाडरी (मुतवन्ना मांगु गाडरी) नि0 राणास त. रायपुर जि. भीलवाड़ा
2—माधु पिता करमा भील निवासी राणास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—मेघा पिता करमा भील निवासी राणास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—मागु पिता करमा भील निवासी राणास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—रामी पुत्री करमा भील निवासी राणास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6—मु. मेहताबीबाई पत्नि करमा भील निवासी राणास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक—06.08.2020

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम राणास तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में स्थित साबिक आराजी संख्या 280 / 1अ रकबा 5 बीघा खातेदार गणेश पिता लालु लौहार राणास के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी प्रमाण में नकल जमाबन्दी पेश की है। साबिक आराजी संख्या 280 / 1अ रकबा 5 बीघा में से 2 बीघा भूमि प्रार्थी संख्या 1 ने खातेदार से बिल एवज 22000 रूपये में दिनांक 06.06.2002 को क्रय कर विक्रय पत्र का पंजीयन उपपंजीयक रायपुर के कार्यालय से करवाया व मौके पर आधिपत्य प्राप्त किया। साबिक आराजियात संख्या 280 / 1अ के नवीन नम्बर 540 रकबा 1.08 है0 कायम हुए उसमें से प्रार्थी द्वारा भूमि क्रय करने से 2 बीघा भूमि के नवीन आराजी नम्बर 1507 / 540 रकबा 0.43 है0 कायम हुए तथा शेष आराजी नम्बर 1508 / 540 रकबा 0.65 है0 कायम हुए। आराजी नम्बर 1508 / 540 रकबा 0.65 है0 को प्रार्थीया संख्या 2 ने दिनांक 09.09.2008 को बिल एवज 70000 रूपये में क्रय कर पंजीयन उपपंजीयक कार्यालय रायपुर में करवाया गया। प्रार्थी 1 व 2 आपस में पति पत्नि है। प्रार्थीगण द्वारा साबिक आराजी संख्या 280 / 1अ का सम्पूर्ण रकबा 1.08 है0 भूमि क्रय कर ली गई ओर साबिक नक्शे अनुसार मौके पर काबिज हुए। साबिक आराजी संख्या 280 / 1अ को सेटलमेन्ट के दौरान साबिक नक्शे में समचोरस था लेकिन नवीन नक्शे में आराजी संख्या 540 बनाते समय दक्षिण कीं तरफ थोड़ा सकड़ा कर दिया जो गलत है। अतः सादर प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर हाल आराजी संख्या 540 के नवीन नक्शा ट्रेस को साबिक आराजी संख्या 280 / 1अ साबिक नक्शे अनुसार नवीन नक्शा ट्रेस में दुरस्ती का आदेश प्रदान फरमाया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किया गया नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 लगायत 6 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की गई एवं विपक्षी क्रमांक 6 फोरमल पक्षकार है।

प्रकरण में तहसीलदार रायपुर से मौका रिपोर्ट ली गई जो शामिल पत्रावली है। तहसीलदार रायपुर द्वारा मौका रिपोर्ट में अंकन किया कि ग्राम राणास के नक्शे में आराजी संख्या 540 रकबा 1.08 है0 का मौके पर सीमाकंन किया गया। आराजी नम्बर 540 की मेड़ पर आरजी नम्बर 542 दक्षिणी पूर्वी कोनो में करीब 4 मीटर प्रभावित होता है। नक्शे में आराजी नम्बर 540 का रकबा बरारी करने पर करीब 1.04 है0 आता है मौके पर आराजी नम्बर 542 का रकबा 0.04 है0 पर वादीगण काबिज है। राजस्व रेकार्ड नक्शा व वादीगण के मौके पर कब्जे अनुसार मौके पर वादीगण का 1.08 है0 पर कब्जा है नक्शे में आराजी नम्बर 540 का नक्शा दक्षिण दिशा की मेड़ पर सकड़ा कर देने से करीब 0.04 है0 रकबा कम बनता है जिसे वादीगण दुरस्त करवाना चाहते है। नये व साबिक नक्शे अनुसार आराजी नम्बर 542 में तरमीम से वादीगण का रकबा पूर्ण हो सकता है।

प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में संलग्न साबिक व नवीन राजस्व रेकार्ड एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर मनन किया तो पाया साबिक राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी के नाम 5 बीघा भूमि दर्ज थी और उसी अनुरूप प्रार्थी मौके पर काबिज है किन्तु नवीन भू प्रबन्ध के दौरान विभाग द्वारा प्रार्थी के नवीन आराजी का रकबा राजस्व रेकार्ड में तो सही दर्ज किया गया किन्तु नक्शे में आराजी नम्बर 540 का रकबा बरारी करने पर 1.04 है0 भूमि बनती है जिसका कमी रकबा आराज नम्बर 542 की पश्चिमी मेड़ के सहारे दक्षिणी पश्चिमी कोने से 4 मीटर बढ़ते हुए उत्तरी पश्चिमी कोना से मिलाने पर प्रार्थी का रकबा राजस्व रेकार्ड अनुसार पुरा हो जाता है ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर आदेश दिया है कि ग्राम राणास के साबिक नक्शे मे अकिंत खसरा नम्बर 280 / 1अ रकबा 5 बिघा भूमि के अनुरूप नवीन खसरा नम्बर 540 रकबा 1.08 है कायम किया गया जिसका वर्तमान राजस्व नक्शे में रकबा 1.04 है0 है जिसमें कमी रकबा 0.04 है0 आराजी नम्बर 542 के दक्षिणी पश्चिमी कोने से उत्तर की ओर आराजी नम्बर 542 की पश्चिमी मेड़ के सहार–सहारे प्रार्थी के कब्जे को ध्यान में रखते हुए राजस्व नक्शे में आराजी नम्बर 540 की पूर्वी मेड़ निर्धारित कर तरमीम दुरस्त की जावे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को आदेश की प्रति के साथ लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 06.08.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

6.8.2020

सुन्दरलाल बम्बोडा
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर

पीठासीन अधिकारीः–सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–09/2015 (2015/00118) प्रार्थना पत्र

उनवान

1–लक्ष्मीलाल पिता चम्पालाल ब्राहम्ण निवासी राणास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–रतनदेवी पत्नि लक्ष्मीलाल ब्राहम्ण निवासी राणास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1–लेहरू पिता हजारी गाडरी (मुतवन्ना मांगु गाडरी) नि0 राणास त. रायपुर जि. भीलवाड़ा
2–माधु पिता करमा भील निवासी राणास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3–मेघा पिता करमा भील निवासी राणास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4–मागु पिता करमा भील निवासी राणास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5–रामी पुत्री करमा भील निवासी राणास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6–मु. मेहताबीबाई पत्नि करमा भील निवासी राणास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धाराः136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट.

प्रेषित :–तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा इन्द्राज दुरस्ती बाबत्

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्र्तगत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता हैं कि ग्राम राणास के साबिक नक्शे मे अकिंत खसरा नम्बर 280/1अ रकबा 5 बिघा भूमि के अनुरूप नवीन खसरा नम्बर 540 रकबा 1.08 है कायम किया गया जिसका वर्तमान राजस्व नक्शे में रकबा 1.04 है0 है जिसमें कमी रकबा 0.04 है0 आराजी नम्बर 542 के दक्षिणी पश्चिमी कोने से उत्तर की ओर आराजी नम्बर 542 की पश्चिमी मेड़ के सहार–सहारे प्रार्थी के कब्जे को ध्यान में रखते हुए राजस्व नक्शे में आराजी नम्बर 540 की पूर्वी मेड़ निर्धारित कर तरमीम दुरस्त की जावे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को आदेश की प्रति के साथ लिखा जावें।

हुक्मनामा आज दिनांक 06.08.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया।

6.8.2020

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.08.24 14:15:03 IST
Reason: SelfAttested
Location: